

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक/रीडर/2025/4200

दिनांक 05/12/2025

उपरोक्त प्रकरण पु.अ. 07/2025 बनाम भूमिधारी तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956

मुकदमा संख्या - 295/2025

-: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपर्युक्त निपटारा में लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 07/भू.अ./2025 दिनांक 03/10/2025 के द्वारा राजस्थान गू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा -136 के अन्तर्गत गिजवाये गये राजस्व ग्राम सावित्री पटवार हल्का सीकर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में गू.अ. संख्या 30031, 32 में गिजवाये पु.अ. पु.अ. 07/2025 के स्थान पर पु.अ. 10/2025 पु.अ. न.सं. सावित्री का नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। पटवारी हल्का सीकर उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस कार्यालय को गिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक/रीडर/2025/4201-02

दिनांक 05/12/2025

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का सीकर तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)



